

प्रेस नोट**थाना जहानागंज****पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.12.2020 को जहानागंज थाना क्षेत्र के वादी की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को अभियुक्त द्वारा गलत नियत से हाथ पकड़ना व छेड़खानी करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किया था दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में 293/20 धारा 354ख,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम सुनील पुत्र रामाधार राम ग्राम सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था तथा दौराने विवेचना अभियुक्त योगेश विश्वकर्मा उर्फ नेम विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार विश्वकर्मा ग्राम सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर **पंकज कुमार पाण्डेय** तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल **निर्देशन में** आज दिनांक 31.01.2020 को **उ0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा** द्वारा मु0अ0सं0 293/20 धारा 354ख/376/504/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त योगेश विश्वकर्मा उर्फनेम विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार विश्वकर्मा ग्राम सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को सेवटा मोड़ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से समय करीब 11.35 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 293/20 धारा 376/354ख/504/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त

योगेश विश्वकर्मा उर्फ नेम विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार विश्वकर्मा ग्राम सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1- उ0नि0 विजय प्रताप सिंह
- 2-हे0का0 अवधेश प्रसाद

3-का0 दिलराज सिंह

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल

28 व्यक्तियों के विरूद्ध 151

सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।